में शिविर स्थल ग्राम पंचायत कान्चरौदा के अस्थल
देवकेहट के कैम्प कोर्ट में पेश हुई। प्रार्थी सं. 1,
3 एवं अप्रार्थी सं. 1 व 3 अर्थात् श्रीमान बीडीओ
अधिकारी, पंच एवं सरपंच (सहित) लड़कों के
पक्षकारान से समझाईश का प्रयास किया। पक्षकारान
में सहमति नहीं बन पाई। पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 19/7/17 को पेश हो।

Riy

19/7/17 वकील फरीकेन उपस्थित। पूर्वानुसार वास्ते बहस
दि० 9/8/17 को पेश हो।

Riy

30/8/17 तारीख पेशी जनरल नोटिस से बदली जाने पर
पत्रावली आज पेश हुई। वकील फरीकेन उपस्थित। पूर्वानुसार
वास्ते बहस दि० 20/9/17 को पेश हो।

Riy

20/9/17 वकील फरीकेन उप०/SDO साहब अवकाश / दौरे पर
पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक 4/10/17 को पेश हों।

4/10/17 वकील फरीकेन उपस्थित। पूर्वानुसार वास्ते बहस
दि० 27/X/17 को पेश हो।

Riy

27/10/17 वकील फरीकेन उपस्थित। पूर्वानुसार दिनांक 1/11/17
को पेश हो।

Riy

1/11/17 वकील फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद पत्र को
आज फैसला किया जा चुका है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र
कार्यवाही का अब कोई औचित्य नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र
प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कटे।

Riy